

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2019-20/ 2515

दिनांक 25/6/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त -जिले।

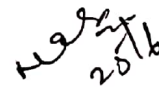
विषय- हरित पाठशाला कार्यक्रम की क्रियान्विति बाबत।

संदर्भ -परिषद कार्यालय का दिशा-निर्देश क्रमांक- 12304 दिनांक 21.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित दिशा-निर्देश के क्रम में लेख है कि हरित पाठशाला कार्यक्रम 22 अप्रैल, 2019 से शुरू किया गया है। उपरोक्त दिशा निर्देशानुसार माह मई से जुलाई 2019 तक गड्डे खुदवाना, पौधों की व्यवस्था करना एवं मानसून के अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि कार्य किये जाने हैं।

अतः समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विद्यालयों में गड्डे खुदवाना व पौधों की व्यवस्था करवाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना एवं शालादर्पण पोर्टल पर हरित पाठशाला से संबंधित सूचना अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


20/6

(नसीम खान)

उपायुक्त

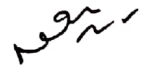
(सामु0 गतिशीलता)

दिनांक 25/6/19

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2019-20/ 2515

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त, (शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
7. रक्षित पत्रावली।



उपायुक्त

(सामु0 गतिशीलता)

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email: cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/एसएमसी/2018-19/12304

दिनांक : 21/1/19

हरित पाठशाला कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश

प्रस्तावना : -

वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन एवं वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिये विद्यालय स्तर पर ही छात्र-छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका एवं हरित विद्यालय योजना प्रारंभ कर विद्यालयों में इसे लागू किया जाना है।

उद्देश्य: -

1. पर्यावरण की समझ पैदा करना।
2. पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व को समझना।
3. पर्यावरण संरक्षण द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाना।
4. समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना।
5. वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण।
6. विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अनिवार्य करना।

गतिविधियाँ : -

1. विद्यालय परिसर, खेल मैदान एवं विद्यालय के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।
2. विद्यालय में वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे- पर्यावरण संरक्षण से संबंधी वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिता, रोलप्ले, रैली, शैक्षिक भ्रमण आदि।
3. विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे- समूहों का गठन करना व इको क्लब को सक्रिय करना।
4. कम से कम 2 छात्र-छात्राओं (कक्षा 12 के छात्रों के अलावा) एवं उनके शिक्षकों को पौधे की देखभाल हेतु गोद देना।
5. विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी/पीटीए तथा पूर्व छात्र-छात्राओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर उनसे भी वृक्षारोपण करवाना तथा उनको भी पौधे गोद देना।

संस्था प्रधान के दायित्व : -

1. समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
2. ग्राम सभा की बैठक में गड्डे खुदवाने हेतु प्रस्ताव रखवाना।
3. पंचायत के माध्यम से महानरेगा, एसएफसी, एफएफसी व एसएमसी/एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गड्डे खुदवाना एवं पौधे लगवाना।
4. पौधों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना।

5. कार्यक्रम की उचित मॉनीटरिंग करे ताकि कार्यक्रम औपचारिकता बनकर ना रहें।
6. गुणवत्ता युक्त 3 फीट ऊचे पौधें कहाँ से लाने हैं, उस नर्सरी का चयन कर माँग प्रस्तुत करें।
7. पौधों/औजारों की खरीद के लिए राशि एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा (स्वैच्छिक अनुदान, अक्षय पेटिका एवं विकास कोष) खर्च की जावें।
8. वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रत्येक माह एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समीक्षा करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व :-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईईओ से पाक्षिक फीडबैक एवं मॉनीटरिंग करवाना।
2. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु नरेगा अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को विकास अधिकारी से स्वीकृति निकलवाना।
3. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों हेतु आवश्यक पौधों की मांग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।

माहवार प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	गतिविधियाँ	माह
1	- एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण पर चर्चा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन। - पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड एवं चार दीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।	अप्रैल
2	- वातावरण निर्माण छात्र-छात्राओं व अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी व रैली का आयोजन। - विद्यालय वाटिका क्लब या पर्यावरण संरक्षण क्लब का कक्षानुसार गठन। - वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारण (पानी की उपलब्धता एवं स्थान को देखते हुए) व विद्यालय का नजरी नक्शा बनाना। - विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियाँ यथा- निबंध प्रतियोगिता, रोलप्ले आदि का आयोजन। - संसाधनों का आंकलन व योजना निर्माण जैसे विद्यालय के खाली परिसर के अनुपात में गड्डे खुदवाना तथा पौधों की व्यवस्था करना।	15 मई तक
3	- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क करना(नरेगा/एसएमसी/एसडीएमसी) 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण हेतु गड्डे खुदवाना।	जून
4	- प्रथम सप्ताह में (मानसून के अनुसार) विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना। - एसएमसी/एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। - स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण करावें। - कक्षा एवं विद्यार्थी समूह को पौधें गोद देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करवाना तथा शिक्षकों को समूह का प्रभारी नियुक्त करना। - विद्यालय के किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना। - विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के लिए उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाना। - विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन का निर्माण करना।	10 जुलाई तक
5	- पौधों के नाम व बायोलॉजिकल नाम का टेग बनाकर पौधों के पास लगवाना। - पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी देना।	अगस्त

6	16 सितम्बर को ओजोन दिवस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। - एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा एवं भामाशाह सहयोग हेतु प्रयास।	सितम्बर
7	लगाये गये पौधों में से मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों को लगाना एवं उनकी पुनः जिम्मेदारी देना।	अक्टूबर
8	26 नवम्बर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का आयोजन करना जिसमें विभिन्न गतिविधियों वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर निर्माण आदि गतिविधियों का आयोजन कर कम से कम 3 फोटो परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करना।	नवम्बर
9	शीतकालीन अवकाश में पौधों की सार-संभाल हेतु विशेष कार्यदलों का गठन (छात्र, शिक्षक, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों में से)	दिसम्बर
10	26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापको, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों व भामाशाहों का सम्मान करना।	जनवरी
11	ब्लॉक निष्पादन समिति में समस्त पीईईओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करना।	फरवरी
12	निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर आदिनांक तक करें।	मार्च

(डॉ. आर. वेंकटरमन)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
जयपुर

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2018-19/12305
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक 21/2/19

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
- 2- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4- निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
- 5- निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर।
- 6- निदेशक सीमेट, जयपुर।
- 7- निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
- 8- आयुक्त एमडीएम, जयपुर।
- 9- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 10- उपायुक्त समस्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 11- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
- 12- शालादर्पण/शालादर्शन को देकर लेख है कि दिशा-निर्देश को सभी को पहुंचाना सुनिश्चित करे।
- 13- समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 14- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
- 15- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
- 16- प्राचार्य डाइट, समस्त जिले।
- 17- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
- 18- समस्त पीईईओ।
- 19- समस्त संस्था प्रधान।
- 20- रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कुमार बोस्ड)

आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद
जयपुर